दिनांक- 14.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 60/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-अजनर

थाना अजनर पुलिस की तत्परता से बिछड़ा बालक सकुशल परिजनों को सुपुर्द

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में थाना अजनर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।
- दिनांक 13.05.2026 को पैदल भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 04 वर्षीय एक बालक, जो अपना नाम एवं पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था, कस्बा अजनर में अपने परिजनों से बिछड़कर अकेला भटक रहा है।
- सूचना मिलते ही पुलिस टीम द्वारा बालक को तत्काल सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया तथा आसपास के लोगों/ग्रामीणों के सहयोग से उसके परिजनों के संबंध में जानकारी की गई।
- प्रयासों के उपरांत बालक के पिता रामप्रसाद अहिरवार पुत्र वंशिया अहिरवार निवासी ग्राम धौरी, थाना ओरछा रोड, जनपद छतरपुर मौके पर उपस्थित हुए।
- आवश्यक पूछताछ एवं तस्दीक के उपरांत बालक, जिसका नाम रियांश एवं उम्र लगभग 04 वर्ष है, की पहचान सुनिश्चित करते हुए उसे सकुशल एवं नियमानुसार उसके पिता के सुपुर्द किया गया।
- उक्त कार्यवाही थाना अजनर पुलिस की संवेदनशीलता, तत्परता एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महोबा पुलिस

दिनांक- 14.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 61/26

साइबर अपराधों पर सख्तीः क्षेत्राधिकारी साइबर ने थानों के साइबर प्रभारियों संग की समीक्षा गोष्ठी, त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश

आज दिनांक 14.05.2026 को क्षेत्राधिकारी साइबर श्री गौरव उपाध्याय द्वारा जनपद के समस्त थानों के साइबर सेल प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी के दौरान साइबर पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिकायत पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की प्रकृति को देखते हुए समयबद्ध कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके।

क्षेत्राधिकारी साइबर द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि–

- साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जाए।
- प्रत्येक प्रकरण में प्राथमिक जांच शीघ्र पूर्ण कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- पीड़ितों से नियमित संवाद बनाकर उन्हें कार्यवाही की प्रगति से अवगत कराया जाए।
- बैंकिंग फ्रॉड एवं ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित समन्वय स्थापित कर धनराशि होल्ड/रिफंड की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।

इसके अतिरिक्त, सभी साइबर सेल प्रभारियों को तकनीकी दक्षता बढ़ाने एवं नवीन साइबर अपराध के तरीकों के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु अभियान चलाने पर भी बल दिया गया।

गोष्ठी के अंत में क्षेत्राधिकारी साइबर ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

दिनांक- 14.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 62/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर, थाना-कबरई

कबरई पुलिस द्वारा बैटरी चोरी की घटना का किया गया खुलासा, चोरी की बैटरियों सहित अवैध असलहा बरामद, दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में वारण्टी/वांछित व चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के कुशल निर्देशन में टीम गठित कर उ0नि0 श्री गौरव चौबे मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.05.2026 को दो नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. राहुल नामदेव पुत्र संजय नामदेव उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी मोहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा तथा 2. प्रदीप यादव उर्फ अतुल पुत्र छत्रपाल यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा, जो कि थाना कबरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित थे, को उटिया जाने वाले मार्ग पर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र व माल बरामदगी होने पर प्रकरण में नियमानुसार बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही की गयी है। गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया है।

बरामद वस्तु –

अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ अतुल के कब्जे से एक अदद इकनाली बंदूक 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद।
अभियुक्तगण के कब्जे से 04 अदद नीले रंग की बैटरियां एवं 01 अदद चार्जर बरामद,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री गौरव चौबे 2.हे0का0 राजीव कुमार 3.रि0आ0 ज्ञानेन्द्र गौतम
4.रि0आ0 सौरभ 5.रि0आ0 अजीत यादव 6.रि0आ0 कमलेश पाल

वांछित अभियुक्त –

1.राहुल नामदेव पुत्र संजय नामदेव, उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी मोहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा
2.प्रदीप यादव उर्फ अतुल पुत्र छत्रपाल यादव, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा।